राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ 40(54)ग्रावि / नरेगा / अपूर्ण कार्य / 2013 जयपुर, दिनांक : 8 JAN 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यों की कार्य पूर्णता दर कम रहने के क्रम में।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 31.12.2014, 25.03.2015, 30.10.2015 एवं 23.11.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे। योजनान्तर्गत दिनांक 01.12.2015 एवं 16.12.2015 की तुलनात्मक समीक्षा करने पर पाया गया कि–

1. वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं पूर्व के अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत दिनांक 16.12.2015 को राज्य में 6.65 प्रतिशत हैं। जिला राजसमंद (29.74 से 18.35), जैसलमेर (7.98 से 6.38), भरतपुर (9.09 से 5.00), अजमेर (4.05 से 02.72), ने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्रयास किये है, परन्तु शेष जिलों में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का प्रतिशत लगभग शून्य रहा है।
2. वित्तीय वर्ष 2010–11 के अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत दिनांक 16.12.2015 को राज्य में 23.06 प्रतिशत हैं। जिला सिरोही (57.78 से 44.98), बांसवाडा (31.32 से 29.92), अजमेर (30.58 से 23.11),भरतपुर (18.03 से 16.21), जैसलमेर (21.70 से 14.89),सीकर (17.41 से 13.83),हनुमानगढ (9.42 से 7.85) ने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्रयास किये है, परन्तु शेष जिलों में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का प्रतिशत लगभग शून्य रहा है।
3. वित्तीय वर्ष 2011–12 के अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत दिनांक 16.12.2015 को राज्य में 27.76 प्रतिशत हैं। जिला अजमेर (50.46 से 44.44), राजसमंद (45.26 से 33.43), जालौर (33.45 से 31.21), भरतपुर (30.65 से 28.57), बारां (29.36 से 26.49), कोटा (27.34 से 24.30), सवाई माधोपुर (10.41 से 8.33), हनुमानगढ (11.17 से 8.16), श्रीगंगानगर (7.61 से 5.09) ने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्रयास किये है, परन्तु शेष जिलों में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का प्रतिशत लगभग शून्य रहा है।

बार--बार निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुये है। अतः आप अपेक्षित प्रगति अर्जित करने वाले जिलों से सम्पर्क कर एवं जिला स्तर पर कार्यवार समीक्षा कर 31 जनवरी 2016 तक वित्तीय वर्ष 2011–12 तक के समस्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें एवं इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

6/1/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ

1. समस्त जिला प्रभारी राज्य मुख्यालय, ग्रावि एवं परावि को जिला भ्रमण के दौरान अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा करने का कष्ट करें।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. श्री अरविन्द सक्सैना, अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय।
5. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
6. सहायक अभियन्ता, ईजीएस पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
7. श्री रिंकु छीपा, एमआईएस मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस